

फर्द अहकाम  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
 न्यायालय उच्च न्यायालय अधिकारी आमेर जिला जयपुर  
 आशुलाल बनाम गुप्ता

प्रकरण संख्या 847/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा का कार्यावाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/12/25	<p>आज दिनांक 24/12/25 को पत्रावली पेश हुई। अनिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06/01/26 को पेश होगी।</p>
	06/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। अद्विवक्ता वकील उपस्थित। वहस कुरजान रिपोर्ट पर मुनी गई। वादी की ओर से कुरजान रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पालि है जिससे कुरजान रिपोर्ट के संघर्ष में किसी प्रकार का कोई खंडन/प्रतरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अन्वेषण कार्यवाही के रिपोर्ट विचित्र रूप से व विचित्र तर्कों आकार पर तैयार कर प्रस्तुत की गई। अद्विवक्ता वकील के मुताबिक रिपोर्ट की प्रकार की कोई भी अपति रिपोर्ट पेश की जाये तो प्रस्तुत नहीं है। अतः तदनुसार आदेश की ओर से प्रस्तुत कुरजान रिपोर्ट (दिनांक 02/01/25) अनुसार वाद वादी का रिपोर्ट रिमांजित है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फौरन शुक्रादि के दिनांक से शुरू हो। यदि तकलीफ शरित्क 44/26 है।</p>

**अंतिम डिक्री मुकदमा इन्तदाई**  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर  
इजलास डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस  
वाद संख्या : 247 / 2025

निर्णय दिनांक : 06 .01.2026

बाबूलाल पुत्र भोलाराम जाति गुर्जर  
निवासी ग्राम खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

- गुल्ला पुत्र टाल्या जाति गुर्जर  
निवासी ग्राम खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
- रफीक खान पुत्र छोटे खान जाति मुसलमान  
निवासी डी-177ए कान्ति चन्द्र रोड, बनीपार्क जयपुर।  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण



**वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
निर्णय**

वाद पत्र द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव) पर सहमति व्यक्त की गई है तथा अवलोकन अनुसार भी कुरेजात रिपोर्ट विधिपूर्वक व विधिसंमत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 40, 41 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 4.3300 हैक्टियर वाके ग्राम खैरवाडी के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गुल्ला पुत्र टाल्या हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार,	40	0.5600	बारानी 1	
	बाबूलाल पुत्र भोलाराम हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, रफीक खान पुत्र छोटे खान हि. 1/2 जाति मुसलमान निवासी डी-177ए कान्ति चन्द्र रोड, बनीपार्क जयपुर	41	3.7700	बारानी 1	
	कुल किता	2	4.3300	-	

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	बाबूलाल पुत्र भोलाराम हि. पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	40/1	0.3000	बारानी 1	
		41/2	0.7475	बारानी 1	
	कुल किता	2	1.0475		
2	गुल्ला पुत्र टाल्या हि. पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	40/3	0.1600	बारानी 1	
		41/4	0.8875	बारानी 1	
	कुल किता	2	1.0475		
3	रफीक खान पुत्र छोटे खान हि. पूर्ण जाति मुसलमान निवासी डी-177ए कान्ति चन्द्र रोड, बनीपार्क जयपुर	41/1	2.0950	बारानी 1	
	कुल किता	1	2.0950		
4	गुल्ला पुत्र टाल्या हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र भोलाराम हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, रफीक खान पुत्र छोटे खान हि. 1/2 जाति मुसलमान निवासी डी-177ए कान्ति चन्द्र रोड, बनीपार्क जयपुर	40/2	0.1000	बारानी 1	
		41/3	0.0400	बारानी 1	
	कुल किता	2	0.1400		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुकदमा-जयपुर

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2026 को जारी की गई।

दस्तखत  
महामक कलक्टर (असट ट्रेक) आमेर  
ओहदा ..... मुस्ताफा-मस्ताफा

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

महामक कलक्टर (असट ट्रेक) आमेर  
मुस्ताफा-मस्ताफा